रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1138] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 2007/भाद्र 27, 1929
No. 1138] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2007/BHADRA 27, 1929

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2007

का.आ. 1568(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) दो सौ इक्यानवेवां संशोधन नियम, 2007 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

(1) प्रथम अनुसूची में, "15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(ii) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग" उप-शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्षक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग";

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत,—

(i) "**I.** संघ कारबार" भाग में प्रविष्टि 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3(क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला।"

(ii) "**IV.** प्रकीर्ण कारबार" भाग में, प्रविष्टि 16(घ) और 16(ज) का लोप किया जाएगा।

(ख) "ख. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग" उप-शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"ग. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

1. मूलभूत, अनुप्रयुक्त और नैदानिक अनुसंधान का संवर्धन और समन्वय जिसमें अग्रणी क्षेत्रों में अवसंरचना, जनशक्ति और कुशलता के विकास तथा संबंधित सूचना के प्रबंधन के माध्यम से चिकित्सीय, स्वास्थ्य, जैव-चिकित्सीय और चिकित्सीय वृत्ति तथा शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में नैदानिक प्रयोग तथा प्रचालनात्मक अनुसंधान सम्मिलित हैं ।
2. अनुसंधान शासन संबंधी मुद्दों का संवर्धन करना और मार्गदर्शन करना जिसमें चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान में नैतिक मुद्दे सम्मिलित हैं ।
3. चिकित्सीय, जैव-चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी क्षेत्रों में अंतरक्षेत्रीय समन्वय तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी का संवर्धन करना ।
4. चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण, जिसमें ऐसे प्रशिक्षण के लिए भारत में और विदेश में अध्येतावृत्ति प्रदान करना सम्मिलित है ।
5. चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसमें संबंधित क्षेत्रों में भारत में और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संबंधी कार्य सम्मिलित हैं ।
6. महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तकनीकी सहायता ।
7. नए और बाह्य अभिकारकों के कारण प्रादुर्भाव का अन्वेषण तथा निवारण के लिए उपायों का विकास ।
8. चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक सोसाइटियों व संगमों, पूर्त और धार्मिक विन्यासों से संबंधित विषय ।
9. विभाग को सुपुर्द किए गए विषयों से संबंधित क्षेत्रों में तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य में विशिष्ट अध्ययनों को संवर्धन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन संगठनों और संस्थानों के बीच समन्वय ।
10. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ।"

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/4/2007–मंत्रि.]
के. एल. शर्मा, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2007

S.O. 1568(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two Hundred and Ninety First Amendment Rules, 2007.

   (2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule, under the heading "15. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya)", after the sub-heading "(ii) Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) [Ayurveda, Yoga aur Prakratik Chikitsa, Unani, Siddha aur Homoeopathy (AYUSH) Vibhag]", the following sub-heading shall be inserted, namely :—

"(iii) Department of Health Research (Swasthya Anusandhan Vibhag)";

(2) in the Second Schedule,—

(A) under the heading "Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya)", under the sub-heading "a. Department of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Vibhag)",—

(i) in part "I. Union business", for the entry 3, the following entry shall be substituted, namely :—

"3 (a) The Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

(b) The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) and the Central Food Laboratory."

(ii) in part "IV. Miscellaneous business", entries 16(d) and 16(h) shall be omitted.

(B) after the sub-heading "B. Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) [Ayurveda, Yoga aur Prakratik Chikitsa, Unani, Siddha aur Homoeopathy (AYUSH) Vibhag]" and entries relating thereto, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely :—

"C. Department of Health Research (Swasthya Anusandhan Vibhag)

1. Promotion and co-ordination of basic, applied and clinical research including clinical trials and operational research in areas related to medical, health, biomedical and medical profession and education through development of infrastructure, manpower and skills in cutting edge areas and management of related information thereto.
2. Promote and provide guidance on research governance issues, including ethical issues in medical and health research.
3. Inter-sectoral co-ordination and promotion of public-private partnership in medical, biomedical and health research related areas.
4. Advanced training in research areas concerning medicine and health, including grant of fellowships for such training in India and abroad.
5. International co-operation in medical and health research, including work related to international conferences in related areas in India and abroad.
6. Technical support for dealing with epidemics and natural calamities.
7. Investigation of outbreaks due to new and exotic agents and development of tools for prevention.
8. Matters relating to scientific societies and associations, charitable and religious endowments in medicine and health research areas.
9. Co-ordination between organizations and institutes under the Central and State Governments in areas related to the subjects entrusted to the Department and for the promotion of special studies in medicine and health.
10. Indian Council of Medical Research."

PRATIBHA DEVISINGH PATIL
PRESIDENT

[F. No. 1/22/4/2007–Cab.]
K.L. SHARMA, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.